राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/ 1222 दिनांक :21.6.11

सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 17-06-2011 का कार्यवाही विवरण

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के अधीनस्थ कार्यालय, संयुक्त निदेशक जोन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारियों /लेखाकर्मियों की मासिक बैठक दिनांक 17-06-2011 को वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में निदेशालय सभागार में आयोजित की गयी।

उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है बैठक में निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :-

क्र.सं.	बिन्दु जिस पर चर्चा हुई	निर्णय लिया गया	अनुपालना जिसके द्वारा की जानी है
1	ऑनलाईन बजट आवंटन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) विभाग में लागू किया जाना।	ऑनलाईन बजट आवंटन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (IFMS) विभाग में लागू की जा चुकी है। बैठक में इस सम्बन्ध में समस्त सहा. लेखाधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर प्रणाली में आने वाली समस्याओं का समाधान किया गया। प्रणाली के प्रयोग में किसी भी कार्यालय को समस्या आने पर निदेशालय में वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट) अथवा श्री कैलाश चन्द, लेखाकार (बजट) मोबाईल नं0 94601-38050 पर सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
2	बकाया दायित्वों (Pending Libilities) की सूचना भिजवाने बाबत	वित्त विभाग द्वारा बजट घोषणा के क्रम में चालू वित्त वर्ष में बकाया दायित्वों (दावों) को अभियान चलाया जाकर निपटाया जाना है। इस हेतु समस्त कार्यालयों के सम्बन्ध में बकाया दायित्वों की सूचना चाही गयी थी। अधिकांशतः सूचना दे दी गई है, परन्तु सभी कार्यालय पुनः अन्य कोई बकाया लम्बित दावें हो तो उनकी सूचना तैयार रखे तथा मुख्यालय को भेजे। बकाया दावों के निस्तारण के लिए अगर अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्रपत्र में बजट मद अंकित करते हुए प्रस्ताव अविलम्ब प्रेषित करावें ताकि तदनुसार बजट प्रावधान उपलब्ध कराया जा सके। इन बकाया दावों को निपटाने के लिए कार्य योजना तैयार कर प्रभावी मोनेटरिंग किया जाना सुनिश्चित करे। यदि भविष्य में इन बकाया दावों का निपटारा नही हो पाता है तो सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी इसके लिये व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
3	जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने बाबत।	महालेखाकार, आन्तरिक जांच/निरीक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों की बकाया अनुपालनाएं सम्बन्धित से प्राप्त कर **दिनांक 22-07-11 को सहा. लेखाधिकारियों की मीटिंग में साथ लेकर आवें।**	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन
4	महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनाएं भिजवाने बाबत	शेष रहे समस्त कार्यालयों/चिकित्सालयों के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालनायें सम्बन्धित से एकत्रित कर दिनांक 30-06-2011 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक बैठक मे समस्त सहायक लेखाधिकारी बकाया प्रथम अनुपालना से सम्बन्धित सूची अपने साथ लायेंगे। प्रथम अनुपालना एक माह से अधिक पुरानी बकाया नहीं रहनी चाहिए।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक-जोन

5	वर्ष 2011–12 में निस्तारण योग्य सामग्री/नकारा वाहनों की सूचना	वर्ष 2011–12 में निस्तारण योग्य सामग्री/नकारा वाहनों की सूचना जिन कार्यालयों द्वारा अभी तक नही भिजवायी गयी है दिनांक 30–06–2011 तक आवश्यक रूप से भिजवायी जावें। सूचना शून्य होने पर निल की सूचना भिजवावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
6	मासिक व्यय विवरण मानचित्रों में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में।	चिकित्सा विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यलयों से प्राप्त माह अप्रेल, 2011 के मासिक व्यय विवरण मानचित्रों के परीक्षण पर कमियां पायी जाने पर पत्रांक ए–4( )लेखा/अंकमिलान/11/1170 दिनांक 17.06.11 द्वारा कमियों को दुरस्त करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। भविष्य में भिजवायी जाने वाले व्यय विवरण मानचित्र जारी निर्देशानुरूप मय कमियों की पूर्ति के भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
7	विस्तृत मद 89 पेंशन अंशदान से सम्बन्धित बजट मांग प्रस्ताव	सभी बजट मदों में 89 पेंशन अंशदान से सम्बन्धित बजट की मांग की पूरे वर्ष की गणना करते हुए प्रस्ताव सभी सीएमएचओ, पीएमओ एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों के दिनांक 30.06.11 तक निदेशालय में फैक्स/विशेष वाहक से प्रेषित करेंगे।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
8	चोरी/गबन के मामलें।	गत बैठकों में दिये गये निर्देशों के क्रम में चोरी/गबन के मामलों में शीघ्र वसूली एवं अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करा समस्त लम्बित गबन/चोरी प्रकरणों की केसवार नवीनतम बिन्दुवार सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 8.07.2011 तक उपलब्ध करावें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
9	प्रपत्र 1 से 8 तक की सूचना	जिन जोन कार्यालयों द्वारा प्रपत्र 1 से 8 तक की सूचना बैठक में उपलब्ध नहीं करायी है। जोन स्तर पर समेकित कर दिनांक 30.06.2011 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन
10	स्टॉक एवं स्टोर लेखें।	भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र तथा स्टॉक एवं स्टोर लेखे जोन कार्यालय स्तर पर समेकित कर निदेशालय में भिजवाये जाने थे जोन कार्यालय जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं जोधपुर से स्टोर एवं स्टॉक लेखें तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र एवं उदयपुर से भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र अप्राप्त है। सम्बन्धितों को दिनांक 30.06.11 तक वाहक स्तर पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। यह अतिआवश्यक हे जिनके द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।	सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संयुक्त निदेशक–जोन

बैठक मे दिये गये उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें। अवहेलना पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी जिसके लिये वे स्वयं उत्तरदायी होगें।

आगामी बैठक दिनांक 22–07–2011 को आयोजित की जावेगी। बैठक का वरिष्ठ लेखाधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित कर समापन किया।

(गुलजारी लाल शर्मा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान–जयपुर

क्रमांक :लेखा/बैठक/2011/ 1222 दिनांक : 21.6.11

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. अति0 निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मुख्यालय।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
5. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0)/परिवार कलयाण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन/मुख्य लेखाधिकारी, परिवार कल्याण/मुख्य लेखाधिकारी, आरएचएसडीपी/मुख्य लेखाधिकारी एवं सचिव, भण्डार कयण संगठन/वरिष्ठ लेखाधिकारी, आईईसी मुख्यालय।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी (बजट/निरीक्षण)/लेखाधिकारी मुख्यालय।
9. डॉ. एस.के. मोहनपुरिया, भण्डार अधिकारी मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
10. समस्त सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन.................................
11. समस्त सहायक-लेखाधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...
12. सहायक लेखाधिकारी बजट/आन्तरिक जांच/महालेखाकार मुख्यालय जयपुर।
13. प्रभारी सर्वर रूम (मुख्यालय) कृपया इस कार्यवाही विवरण को विभाग की वेब–साईट पर अपलोड़ करने का श्रम करे।
14. केयर टेकर, कृपया दिनांक 22/07/2011 को प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
15. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (ऑडिट)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर